



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 41-2022]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 11 अक्टूबर, 2022
(19 अश्विन, 1944 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग-I	अधिनियम कुछ नहीं।	
भाग-II	अध्यादेश कुछ नहीं।	
भाग-III	प्रत्यायोजित विधान अधिसूचना संख्या का०आ० 80/के०अ० 32/2012/धा० 28/2022, दिनांक 07 अक्टूबर, 2022 — हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 7/के०अ० 32/2012/ धा० 28/2020, दिनांक 17 जनवरी, 2020 में संशोधन करने बारे।	769—770
भाग-IV	शुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं।	

भाग—III

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 7 अक्टूबर, 2022

संख्या का०आ० 80/के०अ० 32/2012/धा० 28/2022.— लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का केन्द्रीय अधिनियम 32), की धारा 28 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और माननीय मुख्य न्यायाधीश, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के परामर्श से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 7/के०अ० 32/2012/धा० 28/2020, दिनांक 17 जनवरी, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

“हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 7/के०अ० 32/2012/धा० 28/2020, दिनांक 17 जनवरी, 2020 में, तृतीय पैरा में,—

- (i) चतुर्थ पंक्ति में, “सोनीपत और यमुनानगर” शब्दों के स्थान पर, “सोनीपत, यमुनानगर, रिवाड़ी तथा नारनौल” शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) आठवीं पंक्ति में, “दो वित्तीय वर्षों (2019—2020 तथा 2020—2021) में परिव्याप्त एक वर्ष” शब्दों, कोष्ठकों, अंकों तथा चिह्नों के स्थान पर, “वित्तीय वर्ष (2019—2020 से 2022—2023)” शब्द, कोष्ठक, अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।”।

टी. वी. एस. एन. प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 7th October, 2022

No. S.O. 80/C.A. 32/2012/S. 28/2022.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 28 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (Central Act 32 of 2012), the Governor of Haryana in consultation with the Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court, hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Administration of Justice Department, Notification No. S.O.7/C.A.32/2012/S.28/2020, dated the 17th January, 2020, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Administration of Justice Department, Notification No. S.O.7/C.A.32/2012/S.28/2020, dated the 17th January, 2020, in third para-

- (i) In fourth and fifth line, for the words “Sonepat and Yamuna Nagar”, the words and sign “Sonepat, Yamuna Nagar, Rewari and Narnaul” shall be substituted;
- (ii) In seventh line, for the words, brackets, figures and sign “one year spread over two financial years (2019-2020 and 2020-2021)”, the words, brackets, figures and sign “the financial year (2019-2020 to 2022-2023)” shall be substituted.

T. V. S. N. PRASAD,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Administration of Justice Department.